2.1
09.03.21

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, जयपुर

क्रमांक F.11(76)(1)A.P./SJED/2021/1883 जयपुर, दिनांक 08 मार्च, 2021

आदेश

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का विभागीय वेबपोर्टल SJMS संशोधित/अपग्रेड करने हेतु विभागीय आदेश 59069 क्रमांक 18.12.2020 द्वारा दिनांक 19.12.20 से 28.12.2020 तक 10 दिवस की अवधि के लिए शटडाउन किया गया था। शटडाउन के बाद दिनाक 08.03.21 तक वेबपोर्टल सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है जिससे शटडाउन अवधि के कुल 69 आवेदनों में शिथिलता प्रदान किये जाने उपरांत भी आक्षेपों की पूर्ति ऑनलाईन वेबपोर्टल पर नहीं हो पा रही है।

विभागीय पोर्टल में आ रही विभिन्न तकनिकी समस्याओं के कारण ऐसे आवेदक युगल जो दिनांक 08.03.2021 तक विभागीय पोर्टल पर नया आवेदन/आवेदन में आक्षेपों की पूर्ति करते समय दस्तावेज अपलोड़ करने/सूचना अपडेट करने/ऑब्जेक्शन की पूर्ति का विकल्प नहीं मिलने के कारण/वेरिफायर के स्तर पर जांच हेतु लम्बित आवेदन/जिलाधिकारी के स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित आवेदन/स्वीकृति उपरांत बिल बनाने के स्तर पर लम्बित प्रकरण/वेरिफायर द्वारा आक्षेप लगाये गये प्रकरणों की पूर्ति नहीं कर पा रहे है।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, 2017 के दिशानिर्देशों के परिपेक्ष्य में असाधारण परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुए संलग्न सूची के कुल 69 प्रकरणों में एवं इसके बाद 19.12.20 से 08.03.21 की अवधि में जिनके आवेदन की अंतिम दिनांक होने के कारण जो आवेदन नहीं कर पा रहे ऐसे सभी आवेदक युगलों को दिनांक 09.03.21 से दिनांक 19.03.2021 तक शिथिलता प्रदान की जाकर ऑफलाईन आवेदन करने की एवं जिलाधिकारियों को दिनांक 09.03.21 से दिनांक 31.03.2021 तक आवेदनों में ऑफलाईन स्वीकृत/भुगतान की एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(ओ. पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक F.11(76)(1)A.P./SJED/2021/1884-1922 जयपुर, दिनांक 08 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, शासन सचिवालय जयपुर ।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (आई. टी.), मुख्यावास को उक्त 69 आवेदन एवं इसके बाद 19.12.20 से 08.03.21 की अवधि में ऑफलाईन प्रकरणों को वेबपोर्टल के सुचारू होने उपरांत पोर्टल पर अपलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध करावें।
5. उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...को भेज कर कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से संबंधित आवेदक युगलों को दूरभाष एवं पत्र द्वारा सूचित कर ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत करावें एवं प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति की पंजिका एवं दस्तावेज पत्रावली संधारित कर रिकार्ड रखा जावें तथा ऑफलाईन स्वीकृतियों को वेबपोर्टल के सुचारू होने उपरांत कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव